भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1361

उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

एक देश एक शिक्षा

1361. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में स्कूलों को बंद करने या उनका विलय करने का विचार कर रही है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इसके क्या संभावित प्रभाव होंगे;

(ख) क्या सरकार "एक देश, एक शिक्षा" नीति के अंतर्गत राज्य बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को एकीकृत करने का विचार कर रही है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, इमारतों की हालत जर्जर है और डिजिटल शिक्षा का अभाव है और इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है; और

(घ) क्या बढ़ते परीक्षा के तनाव और आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए सभी स्कूलों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु कोई नीति लागू है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना, विलय करना/बंद करना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है - जो बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत उपयुक्त सरकार हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर बल देती है कि यद्यपि स्कूलों का एकीकरण एक विकल्प है जिस पर अक्सर चर्चा की जाती है, इसे बहुत विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, और केवल तभी जब यह सुनिश्चित हो जाए कि पहुंच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (पैरा 7.4)। इसी प्रकार, प्राथमिक स्कूलों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, आरटीई अधिनियम में सीमांकित क्षेत्र या पड़ोस की सीमाओं के भीतर उपयुक्त सरकार द्वारा स्कूलों की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है (धारा 6)। इसलिए, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बेहतर शिक्षण परिणाम और उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) प्राप्त करने के लिए, कुछ राज्यों ने जनता की आकांक्षाओं के अनुसार बड़े स्कूल स्थापित करने के लिए उपयुक्त कार्यनीति अपनाई है।

स्कूल परिसर/क्लस्टर का उद्देश्य क्लस्टर में स्कूलों की अधिक संसाधन दक्षता और अधिक प्रभावी कार्यप्रणाली, समन्वय, नेतृत्व, शासन और प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

(ख): भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप देश भर के सभी छात्रों के लिए समान और उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यद्यपि सभी स्कूल बोर्डों को सीबीएसई जैसे एकल बोर्ड के अंतर्गत एकीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी सरकार राज्य बोर्डों और केंद्रीय बोर्डों के बीच पाठ्यक्रम और मूल्यांकन समानता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को समान अधिगम के अवसर मिलें, चाहे वे किसी भी बोर्ड में अध्ययन करें।

(ग): शिक्षकों की भर्ती और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती है। केंद्र सरकार, समय-समय पर संशोधित बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, लड़कियों और लड़कों के लिए शौचालय में पानी की उपलब्धता के साथ शौचालय, साथ सीडब्ल्यूएसएन शौचालय, चारदीवारी, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय कक्ष, रैंप, प्रमुख मरम्मत, फर्नीचर की आपूर्ति आदि घटक हेतु बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस संबंध में, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट

(एडब्ल्यूपी एंड बी) तैयार करते हैं और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। इस पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के योजनाबद्ध/कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विचार और मूल्यांकन/अनुमोदन किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी और डिजिटल पहलों को क्रियान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इन पहलों के अंतर्गत, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत राज्य की आवश्यकता के अनुसार आईसीटी प्रयोगशालाएं और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती है।

(घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आधार स्तंभों में से एक के रूप में छात्र सहायता को निर्धारित करती है। उपयुक्त संसाधन और बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराने के साथ-साथ, नीति में छात्रों की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भलाई सुनिश्चित करने के लिए परामर्श प्रणालियों की उपलब्धता की सिफारिश की गई है, ताकि वे तनाव और भावनात्मक समायोजन को संभालने में सक्षम हो सकें।

एनसीईआरटी ने बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) विकसित और शुरू की है। दोनों एनसीएफ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करते हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने मनोदर्पण नामक एक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश भर में छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। मनोदर्पण पहल के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों का उद्देश्य स्कूली छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र भी शामिल हैं।

******